राजस्व वाद संख्या 104/2022

उनवानजयराम वगैरा बनाम वीरधाराम वगैरा

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जयराम पुत्र मोतीराम 2. खीमीदेवी पत्नी मोतीराम 3. भगवानाराम पुत्र चतराराम 4. जेठाराम पुत्र खेताराम 5. मुमकीदेवी पत्नी खेताराम 6. ताराराम पुत्र खीमाराम 7. मोहनलाल पुत्र खीमाराम 8. लीलाराम पुत्र खीमाराम नाबालिक जरिए माता जमनादेवी 9. जमनादेवी पत्नी खीमाराम 10. तनुराम पुत्र धर्माराम 11. कमली पुत्र धर्माराम 12. सायर पुत्री धर्माराम 13. रेखा पुत्री धर्माराम 14. खांखणराम पुत्र जलालराम 15. भीखाराम पुत्र जलालराम 16. संगुदेवी पत्नी जलालराम 17. सवाईराम पुत्र खीमाराम 18. सोनाराम पुत्र खीमाराम 19. सोमाराम पुत्र भोमाराम 20. किशोरकुमार पुत्र सोमाराम 21. प्रहलादराम पुत्र भोमाराम 22. रूघाराम पुत्र भोमाराम जातियान मेघवाल निवासीगण आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. वीरधाराम पुत्र खट्टूराम 2. मूलाराम पुत्र खट्टूराम 3. अमोलखराम पुत्र खट्टूराम 4. तिजोदेवी पत्नी खट्टूराम 5. धन्नाराम पुत्र लुम्बाराम 6. जगुराम पुत्र लुम्बाराम 7. चोखाराम पुत्र लुम्बाराम 8. चंदणाराम पुत्र लुम्भाराम 9. समझूदेवी पत्नी लुम्बाराम 10. श्रवणराम पुत्र भूपतराम 11. दानाराम पुत्र भूपतराम 12. चूनाराम पुत्र भूपतराम 13. रामेश्वर पुत्र भूपतराम 14. गेनाराम पुत्र भूपतराम 15. पुरखाराम पुत्र भूपतराम 16. धुड़ीदेवी पत्नी भूपतराम 17. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. बैंक शाखा सेड़वा। 18. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर : 104/2022

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

<u>जयराम वगैरा बनाम वीरधाराम वगैरा</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू **न्यायालय** बहाजरी **श्री सारंगराम मेघवाल वादी** अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के अधिवक्ता **श्री श्रीराम विश्नोई** मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर** <u>मौजा आलीसरों की बस्ती के खसरा संख्या 449 रकबा 103–04 बीघा में से रकबा 53–17 बीघा भूमि को छोड़कर उक्त खसरे की शेष भूमि रकबा 49–07 बीघा में वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा, वादी संख्या 19 से 22 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है।</u>

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से दिनांक 09/03/2026 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 104/2022
उनवान जयराम वगैरा बनाम वीरधाराम वगैरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शास्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शास्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्ष्यों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़			
		जोड़	

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

संरक्षक ②

9571868075

15/11/22

राजस्व वाद संख्या 104/2022
उनवान जयराम वगैरा बनाम वीरधाराम वगैरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 104/2022
पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

उनवान

वादीगण–1. जयराम पुत्र मोतीराम 2. खीमीदेवी पत्नी मोतीराम 3. भगवानाराम पुत्र चतराराम 4. जेठाराम पुत्र खेताराम 5. मुमकीदेवी पत्नी खेताराम 6. ताराराम पुत्र खीमाराम 7. मोहनलाल पुत्र खीमाराम 8. लीलाराम पुत्र खीमाराम नाबालिक जरिए माता जमनादेवी 9. जमनादेवी पत्नी खीमाराम 10. तनुराम पुत्र धर्माराम 11. कमली पुत्र धर्माराम 12. सायर पुत्री धर्माराम 13. रेखा पुत्री धर्माराम 14. खांखणराम पुत्र जलालराम 15. भीखाराम पुत्र जलालराम 16. संगुदेवी पत्नी जलालराम 17. सवाईराम पुत्र खमीशाराम 18. सोनाराम पुत्र खमीशाराम 19. सोमाराम पुत्र भोमाराम 20. किशोरकुमार पुत्र सोमाराम 21. प्रहलादराम पुत्र भोमाराम 22. रूघाराम पुत्र भोमाराम जातियान मेघवाल निवासीगण आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण–1. वीरधाराम पुत्र खट्टूराम 2. मूलाराम पुत्र खट्टूराम 3. अमोलखराम पुत्र खट्टूराम 4. तिजोदेवी पत्नी खट्टूराम 5. धन्नाराम पुत्र लुम्बाराम 6. जगुराम पुत्र लुम्बाराम 7. चोखाराम पुत्र लुम्बाराम 8. चंदणाराम पुत्र लुम्बाराम 9. समझूदेवी पत्नी लुम्बाराम 10. श्रवणराम पुत्र भूपतराम 11. दानाराम पुत्र भूपतराम 12. चूनाराम पुत्र भूपतराम 13. रामेश्वर पुत्र भूपतराम 14. गेनाराम पुत्र भूपतराम 15. पुरखाराम पुत्र भूपतराम 16. धुड़ीदेवी पत्नी भूपतराम 17. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. बैंक शाखा सेड़वा 18. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण–वादीगण वकील – **श्री सारंगराम मेघवाल**
प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के वकील– श्रीराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः– 09/03/2026

वादीगण द्वारा पेश वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पैतृक पुश्तैनी सामूहिक कब्जा काश्त का खेत मौजा आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा में खेत खसरा नम्बर 449 रकबा 103–04 बीघा, खसरा संख्या 418 रकबा 09 बीघा व खसरा संख्या 469 रकबा 82–04 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 449 रकबा 103–04 बीघा, खसरा संख्या 418 रकबा 09 बीघा व खसरा संख्या 469 रकबा 82–04 बीघा पर वक्त सेटलमेण्ट से पूर्व राजस्थान एकीकरण सन 01.11.1956 के वक्त दिनांक 20.11.1956 वादी संख्या 1 से 18 के पूर्वज भूरा पुत्र पंजू का 1/2 हिस्सा पर तथा वादी संख्या 19 से 22 व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के पूर्वज भोमा, खंगार, खट्टू पि. खानू का 1/2 हिस्सा खातेदारी का दर्ज होना था तथा इसी अनुसार [illegible] जारी करना था, परन्तु खसरा नम्बर 418, 469 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के पूर्वजों के संयुक्त में पर्चा लगान जारी हुआ, उक्त पर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

लगान पर वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र पंजू के अंगुष्ठान निशान है, दो रूपये तीन आना लगान वसूली दिनांक 20.11.1956 में दर्ज है। परन्तु खसरा नम्बर 449 रकबा 103.04 बीघा का अकेले वादीगण संख्या 19 से 22 के पूर्वज भोमा पुत्र खानु व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के पूर्वज खंगार, खट्टू पुत्र खानु के नाम पर्चा लगान जारी किया गया, उक्त पर्चा लगान पर खंगार की माता हवा के अंगुष्ठान निशान है, दिनांक 20.11.1956 को पर्चा लगान में दो रूपये तीन आना संयुक्त वसूली है, दिनांक 20.11.1956 को एक दिन जारी हुआ है, उस वक्त भूरा पुत्र पंजू हाजिर था, लेकिन खसरा नम्बर 449 में अकेले खानू के पुत्रों खंगार, भोमा, खट्टु के नाम दर्ज कर दिया गया, जो सरासर गलत अंकित किया गया जबकि उक्त समस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 की संयुक्त खातेदारी की है तथा समस्त खसरान की भूमि में वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 19 से 22 व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 का 1/2 हिस्सा पैतृक काश्त कब्जा चला आ रहा है। खसरा नम्बर 449 रकबा 103–04 बीघा भूरा पुत्र पंजू व खंगार भोमा, खट्टू पुत्र पंजू के खातेदारी का था, परन्तु वादी संख्या 19 से 22 व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के पूर्वज खंगार, भोमा खट्टू ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए समस्त भूमि में अपना नाम दर्ज करवा दिया, जबकि मौके पर 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 01 से 18 तथा 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 19 से 22 व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 449 में वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत हिस्सों का अंकन कर दिया गया, जो हल्का पटवारी ने अपने स्तर पर किया गया है, जो भी गलत किए गए है, जिस कारण वादीगण उक्त हिस्सों को दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 19 से 22 व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा मौके पर बहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर पक्षकारान की अपनी–अपनी ढाणियां, चारबाड़े, पशुबाड़े, कृषि कुएं आदि बने हुए है तथा निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत संधारण के कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में से वादीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए वादीगण मौजा आलीसरों की बस्ती पटवार क्षेत्र सेड़वा में खसरा नम्बर 449 रकबा 103–04 बीघा, खसरा संख्या 418 रकबा 09 बीघा व खसरा संख्या 469 रकबा 82–04 बीघा में वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 19 से 22 का 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है, जिस हेतु यह वाद खातेदारी घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर बहामी रूप से बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज है परन्तु भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा न होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

(2)

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 104/2022
उनवान जयराम वगैरा बनाम वीरधाराम वगैरा

प्रतिवादी संख्या 01 से 16 वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है, इसलिए वादग्रस्त भूमि मौजा आलीसरों की बस्ती, पटवार क्षेत्र सेड़वा में खसरा नम्बर 449 रकबा 103–04 बीघा, खसरा संख्या 418 रकबा 09 बीघा व खसरा संख्या 469 रकबा 82–04 बीघा वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 19 से 22 का 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा मौके पर बहामी बंटवाड़े अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है, जिस हेतु यह वाद बंटवाड़े का पेश है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में बढोतरी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने हेतु बेचान करने पर प्रयासरत है, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 से 16 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वादीगण–प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के पूर्वजों का समान कब्जा काश्त होने के बावजूद भी संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी नहीं कर गलत पर्चा लगान जारी करवाया गया, तब तत्पश्चात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 से 16 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने तथा भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने की धमकियां दी जाने लगी, तब बमुकाम आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा पैदा हुआ। वादग्रस्त आराजी मौजा आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा में स्थित होने एवं कृषि भूमि होने से दावा हाजा का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। वाद पेश कर वादीगण की निम्न इस्तदुआ है–1. मौजा आलीसरों की बस्ती पटवार क्षेत्र सेड़वा में खसरा नम्बर 449 रकबा 103–04 बीघा, खसरा संख्या 418 रकबा 09 बीघा व खसरा संख्या 469 रकबा 82–04 बीघा में वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 19 से 22 का 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावें। वादग्रस्त भूमि का मौके पर बहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है तथा पक्षकारान बहामी बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज है, वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 19 से 22 का 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा मौके पर बहामी बंटवाड़े अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से बंटवाड़ा की डिक्री जारी फरमावें। 3. वादग्रस्त आराजी वादीगण की हिस्से व कब्जाकाश्त की भूमि होने से उक्त आराजी का प्रतिवादीगण बेचान, रहन, हस्तांतरण, दान या अन्य तरीके से संक्रान्त, दुर्व्ययन व रेकर्ड परिवर्तन नहीं करें तथा न ही वादीगण के पुश्तैनी कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी पैदा करें एवं न ही अन्य किसी भी प्रकार का ... की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमावें।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 104/2022
उनवान जयराम वगैरा बनाम वीरधाराम वगैरा

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने वकालतनामा व जवाब मय विशेष आपत्तियां पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 से 18 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 से 18 को पर्याप्त अवसर के देने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वादीगण वकील ने वादी साक्ष्यों में PW-1 में रूघाराम पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा , PW-2 में प्रहलाद पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा, PW-3 में सोमाराम पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी आलीसरों की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श 01 (ई.एक्स.पी. 01) खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी ग्राम आलीसरों की बस्ती, पटवार क्षेत्र सेड़वा के खसरा संख्या 449 रकबा 16.7054 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श–02 (ई.एक्स.पी. 02) ग्राम आलीसरों की बस्ती, पटवार क्षेत्र सेड़वा के खसरा संख्या 576/469 रकबा 1.8535 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श–03 (ई.एक्स.पी. 03) खसरा संख्या 577/469 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़के हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए, प्रदर्श–03/1 (ई.एक्स.पी. 03/1) खसरा संख्या 578/469 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श–03/2 (ई.एक्स.पी. 03/2) खसरा संख्या 579/469 रकबा 4.4920 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श–03/3 (ई.एक्स.पी. 03/3) खसरा संख्या 580/469 रकबा 2.2096 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श–03/4 (ई.एक्स.पी. 03/4) खसरा संख्या 610/469 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श–03/5 (ई.एक्स.पी. 03/5) खसरा संख्या 611/469 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, प्रदर्श–03/6 (ई.एक्स.पी. 03/6) खसरा संख्या 612/469 रकबा 2.3067 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श–03/7 (ई.एक्स.पी. 03/7) खसरा संख्या 613/469 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श 04 (ई.एक्स.पी. 04) ग्राम आलीसरों की बस्ती, पटवार क्षेत्र सेड़वा के खसरा संख्या 418 रकबा 1.4569 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श 05 (ई.एक्स.पी. 05) खतौनी बंदोबस्त संवत् 2013–31 व प्रदर्श 06–07 (ई.एक्स.पी. 06–07) भू–प्रबन्ध(सेटलमैन्ट) विभाग पर्चा लगान ग्राम सेड़वा सवत् 2013–31 की प्रमाणित छायाप्रतियां वादीगण द्वारा न्यायालय में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित (Exhibit) करवाए।

(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की ओर से पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर 418 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 469 रकबा 82 बीघा 04 बिस्वा संयुक्त खातेदारी में होने का तथ्य सही है, लेकिन वादीगण का यह कथन गलत है कि खेत खसरा नम्बर 449 रकबा 103 बीघा 04 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पैतृक पुश्तैनी एवं सामूहिक काश्त का है। वास्तव में उक्त खसरा नम्बर वक्त सेटलमेंट पूर्व खंगार, भोमा, खट्टु के परिवार का कब्जा व काश्त होने की वजह से सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उनके नाम से पर्चा लगान जारी किया गया था, इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 254 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा पर भूरा पुत्र पंजु का कब्जा व काश्त होने के कारण सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा उनके नाम से पर्चा लगान जारी किया गया था। इस प्रकार वक्त सेटलमेंट में दर्ज खेत खसरा नम्बर 449 पर शुरू से लेकर आज दिन तक खंगार, भोमा व खट्टु के परिवार का कब्जा व काश्त है। इस खेत पर कभी भी वादीगण संख्या 01 से 18 का या उसके पूर्वजों का कब्जा व काश्त नहीं रहा है। वादीगण न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आए है। अगर वादीगण स्वच्छ हाथों से आते तो वह खेत खसरा नम्बर 254 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा का हवाला अवश्य देते। वास्तव में वादीगण द्वारा भूरा के परिवार का सजरा गलत बनाया है। भूरा के दो पुत्र मधा व खमीशा न होकर कुल चार पुत्र मधा, खमीशा, जोधा व हरचन्द है। इस प्रकार वादीगण द्वारा न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर मात्र प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर 449 की भूमि को हड़प करने हेतु ही षडयंत्र रचकर यह वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 449 रकबा 103 बीघा 04 बिस्वा वादीगण संख्या 01 से 18 के पूर्वज भूरा पुत्र पंजु का कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है, वास्तव में उक्त खेत पर खंगार, भोमा, खट्टु के परिवार का कब्जा व काश्त होने की वजह से सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उनके कब्जे एवं काश्त के अनुसार ही पर्चा लगान उनके नाम से जारी किया गया था तथा खेत खसरा नम्बर 418 व 469 पर वादीगण संख्या 01 से 18 व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा व काश्त होने के कारण उक्त खेतों को वादीगण के पूर्वज व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी किया गया था। इसी प्रकार वक्त सेटलमेंट से पूर्व खेत खसरा नम्बर 254 पर भूरा पुत्र पंजु का कब्जा व काश्त होने के आधार पर उनके नाम से पर्चा लगान जारी किया गया था। वादीगण के पूर्वज भूरा का वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 449 पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है तथा न ही उनके द्वारा कोई लगान की राशि इस खसरे बाबत् भरी गई है। वास्तव में परिवार के कर्ता भूरा थे तथा [illegible] सेटलमेंट के पूर्व ही प्रतिवादीगण संख्या 01 से 16 व वादीगण संख्या 19 से 22 के पूर्वज [illegible] गया था, इसलिए ही कर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

खानदान की हैसियत से भूरा अपना व अपने भाई खानु के परिवार का अलग अलग पर्चा लगान जारी करवाया था, इसमें कर्ता खानदान भूरा ने किसी प्रकार की बदमाशी नहीं की थी। वादीगण संख्या 01 से 18 का खेत खसरा नम्बर 449 में कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण का उक्त खेत में 1/2 हिस्सा होने का तथ्य लगत होने से अस्वीकार योग्य है। खेत खसरा नम्बर 449 पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 16 के पूर्वज खंगार, भोमा व खट्टु के परिवार का कब्जा व काश्त होने की वजह से उनके नाम से पर्चा लगान जारी किया गया था, इसमें पटवारी हल्का ने अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है, बल्कि राजस्व अधिकारियों द्वारा वक्त सेटलमेंट से पूर्व जिनके कब्जे व काश्त थे, उस अनुसार ही पर्चा लगान जारी किए गए थे। ऐसी स्थिति में वादीगण संख्या 01 से 18 उक्त हिस्सों को दुरुस्त करवाने के अधिकारी नहीं है। खेत खसरा नम्बर 449 पर वादीगण संख्या 01 से 18 का कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है तथा न ही उनके पूर्वजों के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था, उक्त खेत पर शुरू से लेकर आज दिन तक प्रतिवादीगण संख्या 01 से 16 वादीगण संख्या 19 से 22 के पूर्वज खंगार, भोमा, खट्टु का कब्जा व काश्त चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त खेत में किसी भी प्रकार का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण संख्या 01 से 18 खेत खसरा नम्बर 449 में किसी भी प्रकार की घोषणा की डिक्री, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 09 ने विशेष आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण संख्या 01 से 18 के पूर्वज भूरा पुत्र पंजु के नाम से खेत खसरा नम्बर 254 मौजा आलीसरों की बस्ती का पर्चा लगान जारी हुआ था जिस पर वर्तमान में वादीगण संख्या 01 से 18 व उनके भाई जोधा व हरचन्द के परिवार का कब्जा व काश्त है। वादीगण संख्या 01 से 18 ने जानबूझकर उक्त खेत खसरा नम्बर 254 का वाद पत्र में अंकन नहीं किया है। वादीगण संख्या 01 से 18 न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आए है, इसलिए वादीगण का वाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण संख्या 01 से 18 द्वारा भूरा पुत्र पंजु के उत्तराधिकारियों को सही ढंग से वंशवृक्ष नहीं बनाया गया है, जिसके अभाव में भी वादीगण संख्या 01 से 18 का वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादीगण संख्या 01 से 18 का या उनके पूर्वजों का खेत खसरा नम्बर 449 पर वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन कब्जा व काश्त नहीं रहा है तथा वादीगण ने कब्जा प्राप्ति बाबत् इस्तदुआ नहीं मांगी गई है। ऐसी स्थिति में भी बिना कब्जे की इस्तदुआ मांगे यह वादपत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 104/2022

उनवानजयराम वगैरा बनाम वीरधाराम वगैरा

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, सक्षम दस्तावेजी तथा लिखित साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् के अधिवक्ताओं ने बहस की। उभयपक्षकारान् के अधिवक्ताओं की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, वादीगण का वाद संख्या 104/2022 उनवान जयराम वगैरा बनाम विरधाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 40, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त साक्ष्यों, तथ्यों व जवाब के विवेकसंगत अवलोकन तथा विचारण के आलोक में खेत मौजा आलीसरों की बस्ती पटवार मण्डल सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 254 रकबा 53–17 बीघा पूर्व में अकेले वादीगण के नाम होने के कारण मौजा आलीसरों की बस्ती के खसरा संख्या 449 रकबा 103.04 बीघा में से रकबा 53–17 बीघा भूमि को छोड़कर उक्त खसरे की शेष भूमि रकबा 49–07 बीघा में वादी संख्या 01 से 18 का 1/2 हिस्सा, वादी संख्या 19 से 22 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 16 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09/03/2026 को खुले न्यायालय/ सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से एक कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवंउपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:48 IST
Reason: SelfAttested